राजस्थान में पर्यटन विकास की प्रमुख योजनाएँ

डॉ. कमलेष बैरवा
श्री मीनेष पी.जी.महाविद्यालय
जमवारामगढ,जयपुर
ईमेलः dr.kamleshbeniwal@gmail.com

सारांश

पर्यटन उद्योग के समक्ष आज जो विषेश समस्या राज्य में आ रही है, वह यह भी है यह बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन–स्थल निरंतर प्रदूषित होते जा रहे है। वहां पर पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल वस्तुओं से कचरा व गंदगी इतनी अधिक फैल रही है कि निकट भविष्य में उन स्थानों के महत्व पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है। ऐसे में आज आवश्यकता इस बात की भी है कि 'इको टूरिज्म ' अर्थात् पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए। इको टूरिज्म का पहला नियम है –'' लीजिये केवल तस्वीरे और छोड़ जाईये सिर्फ अपने पद चिह्न'। इसी से पर्यटन–स्थलों पर फैलने वाली गंदगी तथा पर्यटकों द्वारा किये जाने वाले प्रदूषण से इन स्थलों का बचाव किया जा सकेगा। इस दिशा में प्रभावी प्रबन्धन को अपनाकर पर्यटन विभाग को अपने ब्रोशर में, होटलों को अपने मैनू के पीछे निर्देश जारी करने के बारे में जागरूक किया जाए साथ ही समस्त पर्यटन स्थलों को पर्यटन मैत्री हर तरीके से बनाया जाये जिससे किसी भी प्रकार के पर्यटक को पर्यटक स्थल तक पहुँचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो तथा उसका भ्रमण यादगार बने।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 02.08.2024
Approved: 27.09.2024

डॉ. कमलेष बैरवा

राजस्थान में पर्यटन विकास की प्रमुख योजनाएँ

RJPP April 24-Sept.24,
Vol. XXII, No. II,

PP. 140-147
Article No. 18

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2024-vol-xxii-no2

राजस्थान के पर्यटन विभाग ने ''**पधारो म्हारो देश** '' का आकर्षक आमत्रंण देकर पर्यटन विकास के लिए सरकार का सकंल्प प्रकट किया हैं। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वदेशी व विदेशी पर्यटको को आकर्षित करने के लिए समय–समय पर यथोचित प्रयास किये जाते रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कर पर्यटको को संगीत व लोक कलाओ से परिचित कराने के लिए मेलो व प्रदर्शनियो का आयोजन किया जाने लगा। पर्यटन केन्द्रो पर आवास यातायात, शेजन व मनोरजंन की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उदेश्य से 24 नवंम्बर 1978 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई तथा मार्च 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रधान कर सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए अपना दृढ संकल्प प्रकट किया गया। इसके अलावा केन्द्र सरकार की शॅति वर्ष 1991 व 1992 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाकर पर्यटन विकास के लिए लोगो को प्रेरित किया गया। इन दोनो वर्ष में ''आओ नी पधारो म्हारो देश, घर आयो मा जायो तथा राजस्थान आमंन्त्रित कर रहा है'' आदि नारो का प्रयोग कर पर्यटको को राजस्थान भ्रमण के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया। वैसे पर्यटन का राज्य में क्रमिक विकास होता रहा है लेकिन 2008 का वर्ष पर्यटन की दृष्टि से काफी उत्तम रहा है। इस वर्ष में 283.59 लाख स्वदेशी एवं 14.78 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आये। कुल मिलाकर 298.37 लाख पर्यटक राजस्थान भ्रमण के लिए आये, जबकि 2007 में यह संख्या 273.22 लाख रही थी। राज्य मे चल रही पर्यटन विकास की विभिन्न योजना के फलस्वरूप राजस्थान आने वाले पर्यटको की संख्या 2014 तक बढकर 346.02 लाख हो गई जिनमें 330.76 लाख स्वदेशी व 15.26 लाख विदेशी पर्यटक शामिल है। इस प्रकार 2014 का वर्ष राजस्थान के लिए पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में काफी उत्तम रहा जिसके कारण इस वर्ष राजस्थान पर्यटन को विभिन्न पुरस्कारो से नवाजा गया तथा 2023 में यह आंकडा बढकर 17.90 करोड पर पहुँच गया ।

सरकारी व्यय में वृद्धि

पर्यटन को बढावा देने के लिए वर्ष 2003–2004 में राज्य सरकार द्वारा कला एवं संस्कृति के विकास पर 13 करोड 80 लाख रूपये व्यय किए गये, जिसे 2005–06 व 2007–08 में बढाकर क्रंमशः 26 करोड 13 लाख व 65 करोड 78 लाख कर दिया गया पर्यटन मंत्रालय शरत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्त्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में राज्य में पर्यटन विकास की 10 नवीन परियोजनाओ पर व्यय करने के लिए 5174.67 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी तथा पर्यटन इकाईयो की 73 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई जिनकी निवेश राशि 39,839.66 लाख रूपये है। विभाग द्वारा प्रमुख पर्यटक स्थलो, मेलो व त्योहारो के लिए 40 वर्चुअल टयूर प्रारम्भ किये गए, जिनमें से 15 विभागीय बेसाईट पर प्रदर्शित किये गये है।

मेलों व त्योहारों का आयोजन

राज्य की सम्रद्ध–सांस्कृतिक विरासत में मेलो व त्योहारो का मध्य पूर्ण स्थान है। पर्यटक विभाग ने वर्ष 2001 तक अन्तराष्ट्रीय रूप से प्रगति करने के लिए मेलो तथा त्योहारो का एक कलेण्डर तैयार किया है जिसमें 1. ग्रीष्मकालीन त्योहार(माउण्ट आबू) 2. तीज–गणगौर का त्यौहार, जयपुर 3. मारवाड त्यौहार जौधपुर 4. पुष्कर मेला, पुष्कर 5. चन्द्रमागा मेला झालावाड 6 ऊँट महोत्सव बीकानेर 7. नागौर मेला नागौर 8. मरू महोत्सव, जैसलमेर 9. हाथी महोत्सव जयपुर 10. मेवाड त्यौहार

11. गणगौर महोत्सव जयुपर आदि प्रमुख है। इन मेलों व त्योहारो में राज्य की संस्कृति स्पष्ट रूप से झलकती है। वर्ष 2013–14 में विभाग द्वारा प्रमुख स्थल मेले और त्यौहारो के लिए 40 वर्चुअल टयूर प्रारम्भ किये गये जिनमें से 15 विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किये गये है तथा अप्रेल 2014 से दिसम्बर 2014 तक 36 मेले एवं त्योहारो का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की विभाग की शैतिक प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

शाही रेल गाड़ी की शुरूआत

पर्यटन विकास निगम द्वारा एक शाही रेल गाड़ी **''पैलेस आन व्हील''** की शुरूआत वर्ष 1982 में की गई जिसे सितम्बर 1995 में नई पैलेस ऑन व्हील के रूप में चालू किया गया। यह रेलगाडी पैकेज ट्यूर के रूप में प्रमुख पर्यटन केन्द्रो को जोडती है इस गाडी द्वारा प्रथम यात्रा की शुरूआत 26 जनवरी 1982 को की गई थी। सन 1982 से 1994 तक इस रेल गाडी द्वारा की गई यात्रा से 20 हजार की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। जिसमें 35 देशों की मुद्राए शामिल थी।रेल लाईनो को बडी लाइनो में परिवर्तित करने के कारण शाही रेल गाडी को फरवरी 1994 में बन्द कर दिया गया जिसे पर्यटन विकास निगम और शरतीय रेलवे के सहयोग से पुनः 13 सितम्बर 1995 को ''पहियो पर चलने वाला नया राजमहल'' के नाम से चलाया गया। जिसका निर्माण 20 करोड रूपये की लागत से इन्टीग्रल कैप फैक्टरी मद्रास में करवाया गया''। इसी क्रम को आगे बढाते हुए 17 फरवरी 2006 को राज्य में एक और नई रेल गाडी ''हेरीटेज आन व्हील्स'' प्रारम्भ की गई जो जयपुर, बीकानेर, छापर, नवलगढ के बीच (3 रात व 4 दिन के लिए) शेखावाटी प्रदेश में रायल राजस्थान आन व्हील के नाम से चलायी गयी। इस प्रकार राज्य में पर्यटन विकास के लिए किये गए प्रयासो में शाही रेलगाडी की शुरूआत एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। जिससे पर्यटको की संख्या में आशानुकुल वृद्धि हुई है। राज्य में चलने वाली शाही रेलगाडीयो में से,'' पैलेस ऑन व्हील'' नामक रेलगाडी को टेवल मैगजीन कोन्डेनास्ट की और से विश्व की दस बेहतरीन ट्रेनो में चौथा स्थान दिया गया।

पूँजी निवेश की वृद्धि के उपाय

पूँजी निवेश पर्यटन विकास की प्रारम्भिक आवश्यकता हैं। मार्च 1989 राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढावा देने के लिए स्वीकृत पूँजी विनियोजन के रूप में 15 से 20 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की गई तथा जुलाई 1991 में केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया जिसका राज्य पर्यटन विकास पर अनुकुल प्रभाव पडा। राज्य सरकार द्वारा 1994–95 में किलो, महलों व गढो की सुरक्षा के लिए 6.5 करोड रूपये आंवटित किये गए तथा 1.5 करोड रूपये की सब्सिडी प्रदान की गई। इन सबके अलावा पर्यटन क्षेत्र में सितम्बर 1997 के अंत तक नये दिशा निर्देशो के तहत 29411.56 (मिलियन) रूपये के विदेशी पूँजी निवेश को शामिल करते हुए 243 प्रस्तावो को अनुमोदित किया गया।

पेइंग गेस्ट योजना

पर्यटन विकास की विभिन्न योजना के अर्न्तगत प्रदेश में सितम्बर 1991 में पेइंग गेस्ट योजना की शुरूआत कर पर्यटको को ठहरने के लिए आवास, खाने की सुविधा प्रदान की गई, इस

योजना के द्वारा पर्यटको को पेइंग गेस्ट के रूप में रखा जाता है। यह योजना प्रदेश के 9 शहरो में (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर ,चित्तोडगढ, माउंट आबू एवं पुष्कर) 562 परिवारो के द्वारा चलायी जा रही है ,जिसमें लगभग 4000 से अधिक पर्यटको के लिए आवास व शेजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

हेरिटेज होटल योजना

हेरिटेज होटल पर्यटन विकास का मुख्य आधार है। इस योजना के तहत 1991 से ही कलात्मक हवेलियो, गढ स्थलो,व महलो को संरक्षण प्रदान कर उनकी कार्य क्षमता का पुनः उपयोग किया जा रहा है तथा 50 पुराने श्वनो को अनुदान प्रदान कर उनको होटल के रूप में विकसित किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में हेरिटेज होटल की संख्या 65 हो गई , जिनके 1995–96 के अन्त तक 100 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।

राज्य पर्यटन नीति 2001

पर्यटन को जन –उद्योग बनाने व इसके माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढाने के उदेश्य से मन्त्रिमण्डल द्वारा नई पर्यटन नीति को 24 सितम्बर 2001 को मन्जूरी प्रदान की गई, इस नीति की मुख्य बाते निम्न हैः–

1. राज्य में उपलब्ध समृद्ध पर्यटन संसाधनो का अधिकाधिक उपयोग कर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही गई ।
2. राज्य की समृद्ध व विविध हस्तकलाओ एवं शिल्प कलाओ के लिए बाजार उपलब्ध करवाना।
3. स्थापत्य कला एवं सांस्कृतिक विरासतो का वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्ध कर संरक्षित करने का प्रावधान किया गया।
4. स्थायी पर्यटन इकाईयो को पॉच वर्ष तक विलासिता शुल्क से मुफ्त किया गया।
5. साहसिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, ऊॅट व घोडो की सवारी ,नदियो व नहरी नौकायन, शैक्षणिक व ग्रामीण पर्यटन को बढावा दिया गया।
6. ब्याज अनुदान डी. जी. सैटस अनुदान, फिल्म शूटिग को प्रोत्साहन, मल्टीप्लेक्स, डाईव इन सिनेमा व थियेटर विकसित करने की स्वीकृती प्रदान की गई।
7. पर्यटन क्षेत्र में 60 लाख रूपयें को निवेश करने वाली पर्यटन इकाइयो को ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया।

पर्यटन इकाई नीति 2007

राज्य में पर्यटक के लिए आवास सुविधाओ के विस्तार, आधारभूत संरचनाओ का विकास एवं रोजगार सृजन के उद्वेश्य की पूर्ति के लिए रिसर्जेन्ट राजस्थान सम्मेलन के अवसर पर 30 नवम्बर 2007 को नई पर्यटन नीति 2007 जारी की गई। जिसमें समस्त पर्यटन ईकाईयो को विभिन्न छूटो का परिलाभ देने का प्रावधान किया गया तथा ग्रामीण पर्यटन को बढावा देने के उद्धेश्यो को विषेश रूप से सम्मलित किया गया।

पर्यटन इकाई नीति 2015

राज्य की मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित अम्बेसडर्स राउंड–टेबल कांफ्रेस में पर्यटन ईकाई नीति 2015 जारी कीं, जिसकी प्रमुख बाते निम्न हैः–

- पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न इकाईयो का व्यापक रूप से परिभाषित किया गया।
- नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित नवीन पर्यटन ईकाईयो को भूमि परिवर्तन शुल्क से मुक्त किया गया तथा भूमि सम्परिवर्तन के लिए समयसीमा निर्धारित की गयी।
- हेरिटेज होटलो को पट्टा जारी करने के लिए पात्र माना गया।
- श्वन योजना का अनुमोदन करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई।

पर्यटक सहायता बल ;ज्वनतपेज च्वसपबम थ्वतबमद्ध योजना

पर्यटको के साथ आये दिन होने वाली लूट–पाट ,छेड–छाड, धोखाधडी, अभद्र व्यवहार व असामाजिक तत्वो के द्वारा परेशान किये जाने की घटनाओ को ध्यान में रखते हुए पर्यटको की सुरक्षा और सहायता के लिए 1 अगस्त 2000 से प्रदेश मे पर्यटक सहायता बल ;Tourist Police Force) योजना प्रारम्भ की गई। जिसमें पर्यटको की सहायता के लिए भूतपूर्व सैनिको की सेवाएँ ली जाती है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेंर, उदयपुर, माउंटआबू, सवाईमाधोपुर, पुष्कर(अजमेर),भरतपुर, बीकानेर एवं चितौडगढ में पर्यटक सहायता बल कार्यरत है। **एडोप्ट–ए–मोन्यूमेंट योजना**

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं जीर्णोद्वार करने में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए राजस्थान में एडोप्ट–ए–मोन्यूमेंट योजना प्रारम्भ की गईं। इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित स्मारको के रूप में मौजूद बहुमुल्य सांस्कृति विरासतो का संरक्षण व जीर्णोद्वार कर उचित प्रबन्धन के साथ उसे पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बनाया जाता है। इस नीति के तहत कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जयपुर के जंतर–मंतर वैद्यशाला व हवामहल का मास्टर प्लान तैयार करवाया गया है।

अपना धाम अपना काम योजना

राज्य सरकार द्वारा मन्दिर व तीर्थ स्थलो के विकास के लिए अपना धाम अपना काम योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत धार्मिक स्थलो के विकास को प्रभावी गति प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है। यह योजना राजस्थान सरकार के देव स्थान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

अन्य कार्यक्रम

1. विश्वप्रसिद्ध जैसलमेर किले के संरक्षण के लिए गन्दे पानी व सीवरेज निकास की योजना प्रारम्भ की गयी।
2. 1994–95 में डेचू सालासर,देवली,पिण्डवाडा,ब्यावर में पर्यटको के लिए मिडवे की सुविधाओ का निर्माण करवाया गया।
3. पर्यटको की सुविधाओ के लिए विमान सेवा का विस्तार कर उडानो की संख्या 9 से बढाकर 42 की गई।

4. उदयपुर के मोतीनगरी व आमेर के महलो में दृश्य एवं श्रव्य शो प्रारम्भ किये गये।
5. 1994–95 में दरगाह शरीफ अजमेंर व पुष्कर के र्स्वागीन विकास की वृहद्ध योजना के साथ विभिन्न पर्यटक स्थलो कैलादेवी, गोगामेडी, रामदेवरा, सालासर बालाजी, देशनोक, मेहन्दीपुर बालाजी,व नागौर की दरगाही आदि के लिए नियोजित विकास कार्यक्रम रखे गये है।
6. जयपुर में हाथी गॉव की स्थापना की गई।
7. पारम्परिक पर्यटन से हटकर साहसिक एंव रोमांचक पर्यटन को बढावा देने के लिए वाटर स्पोंटस, कैमल सफारी, होर्स सफारी, विलेज सफारी आदि के आयोजन को बढावा दिया गया।
8. प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें लेजर शो का आयोजन किया जाता है।

पर्यटन साहित्य का प्रकाशन

राज्य में स्थित पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग समय समय पर इन पर्यटन–स्थलों के बारे में ब्रोशर्स, फोल्डर एवं लघु पुस्तिकाओं एवं पोस्टरों का प्रकाशन करता है और इनका वितरण देश एवं विदेश में करता है, ताकि इन पर्यटक स्थलों के बारे में प्रमाणित जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध हो सकें।

पर्यटन–प्रचार सामग्री का वितरण

पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिये पर्यटन साहित्य के प्रकाशन के साथ–साथ पर्यटन विभाग इस साहित्य को निःशुल्क वितरण कराने की भी व्यवस्था करता है तथा कुछ का टोकन शुल्क भी लिया जाता है। विभागीय पर्यटन–साहित्य को पर्यटन व्यवसाय से संबंधित सभी उपक्रमों को निःशुल्क भेजा जाता है तथा विभाग द्वारा संचालित पर्यटन सूचना केन्द्रों के माध्यम से आने वाले प्रत्येक पर्यटन को यह साहित्य उपलब्ध करवाया जाता है। इस पर्यटन साहित्य में राजस्थान राज्य का पर्यटन मानचित्र भी शामिल है।

पर्यटन सूचना केन्द्रों का संचालन

राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को प्रमाणित सूचना अच्छे तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पर्यटन विभाग 19 पर्यटक सूचना केन्द्रों का संचालन करता है उनमें से जयपुर के रेल्वे स्टेशन पर स्थित पर्यटक सूचना केन्द्र 24 घंटे कार्य करता है। इन सूचना केन्द्रों पर पूरे राज्य में पर्यटन साहित्य तथा होटलों एवं अन्य पर्यटन संबंधित सेवाओं की जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध करवाई जाती है।

पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण

पर्यटक सूचना केन्द्रों पर अब तक सिर्फ सूचनाएं ही उपलब्ध करवाई जाती है, परन्तु अब विभाग पर्यटन सूचना केन्द्रों के साथ–साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटक स्वागत केन्द्रों की स्थापना की दिशा में भी महान कार्य कर रहा है। इसके तहत बीकानेर हाउस दिल्ली में, जयपुर में सर्किल हाउस के सामने, उदयपुर में फतेहपुर मेमोरियल के साथ ही बीकानेर में ढोला मारू आदि

के कार्य पूरे हो चुके है तो कहीं पर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पर्यटक स्वागत केन्द्रों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को एक ही स्थान पर समस्त सुविधाएं जैसे कि पर्यटक स्थलों की जानकारी, होटलों का आरक्षण, रेल बस एवं हवाई यात्रा हेतु आरक्षण, ट्यूरिस्ट, टैक्सी, गाइड, विदेशी मुद्रा परिवर्तन इत्यादि सुविधाएं एक ही स्थल पर उपलब्ध हो सकें।

पर्यटन विकास का केरल फार्मूला

केरल उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी शरत के मालावार तट पर स्थित राज्य है जिसे नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा ''विश्व के 10 स्वर्गो''में से एक की संज्ञा दी गई है। केरल अपनी पारिस्थितिकी पर्यटन पहल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । इसकी अनूठी संस्कृति व विविध परम्पराओ ने जनसाख्यिक के साथ मिलकर केरल प्रदेश को शरत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलो में से एक बना दिया है, जिसके कारण 13.31 प्रतिशत की दर से बढते हुए पर्यटन उद्योग का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। केरल में पर्यटन विकास के उपरोक्त फार्मूले को राजस्थान में लागू करके राज्य की अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन उद्योग की भूमिका को बढाया जा सकता है, क्योकि केरल की तरह राजस्थान में भी पारिस्थितिकी– पर्यटन के लिए असीमित सम्भावना मौजूद है।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति :– 2015

राज्य की मुख्यमंत्री ने 04 जून, 2015 को नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति–2015 जारी की। इससे राज्य में नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इस नीति में प्रस्तावित आर्थिक लाभ एवं रियायतें उन पर्यटन इकाईयों को भी उपलब्ध होगी, जो पूर्ववर्ती पर्यटन इकाई नीति–2007 के अन्तर्गत अनुमोदित है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2007 के तहत वर्ष 2015 तक लगभग 1500 पर्यटन इकाईयों के प्रोजेक्ट पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये, जिनमें राज्य में लगभग रू. 12500 करोड का निवेश प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा यह नीति पर्यटन एवं यात्रा क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के साथ विस्तृत विचार विमर्ष के उपरान्त तैयार की गई है।

नीति के मुख्य बिन्दु

- इन नीति में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिनमें अब होटल, मोटेल, हैरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेन्ट, कम्पिंग साइट, म्यूजियम, माइस/कनवेन्शन सेन्टर, स्पोटर्स रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, स्पाएम्यूजमेन्ट पार्क, रोप–वे, ट्यूरिस्ट लग्जरी कोंच, केरावेन एवं क्रूज पर्यटन सम्मिलित है।
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पर्यटन इकाईयों का भूमि सम्परिवर्तन निःशुल्क होगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में नई पर्यटन इकाईयों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान हैरिटेज सम्पतियों एवं हैरिटेज होटलों का सम्परिवर्तन शुल्क से मुक्त किया गया है।
- भू–परिवर्तन के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है एवं यदि कोई भी प्राधिकरण निर्धारित समय में निर्णय करने में विफल रहता है तो भूमि को स्वतः ही भू–सम्परिवर्तन मान लिया जायेगा।

- हैरिटेज होटलों के आच्छादित क्षेत्र पर नगरीय विकास कर आवासीय दर से वसूल किया जायेगा, किन्तु उनके खुले क्षेत्र पर नगरीय विकास कर नहीं लिया जायेगा।
- हैरिटेज होटल के लिए बीएसयूपी शेल्टर फण्ड केवल सकल निर्मित क्षेत्रफल पर देय होगा।
- हैरिटेज होटलों का पट्टा जारी करने के लिये पात्र माना जायेगा।
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हैरिटेज होटलों के लिये सड़क की चौडाई की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- हैरिटेज होटलों और पुरासम्पतियों के आच्छादित क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 1000 वर्गमीटर जो भी कम हो में खुदरा वाणिज्यिक उपयोग स्वतः अनुज्ञेय होगा।
- भवन योजना का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में किया जायेगा।
- पर्यटन इकाईयों को दोगुना अर्थात् 2.25 से 4.50 एफएआर अनुज्ञेय हेागा।
- सभी इकाईयां अपने लिये मानव संसाधन प्रशिक्षित करने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अन्तर्गत रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये आरक्षित संस्थानों के अनुमोदन के लिये पात्र होगा।
- शहरी क्षेत्रों में पर्यटन इकाईयों से लीज राशि संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर ली जायेगी।
- मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर के कम से कम 13 सीट क्षमता की ट्यूरिस्ट लग्जरी कोचेज को स्पेशल रोड़ टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट अप्रेल, 2018 तक प्रदान की गई है।

पर्यटन इकाईयों एवं हैरिटेज होटलों को समस्त आर्थिक लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होंगे।

रिसर्जेन्ट राजस्थान :

राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को राज्य में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के उदेश्य से रिसर्जेन्ट राजस्थान–2015, 19–20 नवम्बर, 2015 को जयपुर एक्जीबिशन एवं कन्वेशन्सन सेन्टर, जयपुर में आयोजित किया गया। रिसर्जेन्ट राजस्थान के अन्तर्गत विभाग द्वारा तीन अलग–अलग कार्यक्रमों पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों के साथ 139 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये, जिनमें राशि रू. 6277.45 करोड़ का निवेश तथा लगभग 20588 व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन निवशकों द्वारा प्रस्तावित किये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में निवेश के 7 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें रू. 2370 करोड़ का निवेश एवं 10,175 व्यक्तियों के लिये रोजगार प्रस्तावित है।

सन्दर्भ

1.स्त्रोत आर्थिक समीक्षा(2014–15) पृष्ठ सं.**134**